सेंट्रल विस्टा : नए प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में 'एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव' के निर्माण को दिल्ली प्रदेश पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआइएए) ने मंजूरी दे दी है। इस एन्क्लेव में प्रधानमंत्री का नया कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली प्रदेश विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) ने पिछले सप्ताह एसईआइएए को परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने की सिफारिश की थी। एसईआइएए ने बुधवार को एक बैठक में परियोजना पर चर्चा की तथा इसे मंजूरी दे दी।

वन विभाग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) को 23 अगस्त को दिल्ली पेड़ संरक्षण कानून, 1994 के तहत सेंट्रल विस्टा परियोजना स्थल से 807 में से 487 पेड़ों को उखाड़कर कहीं और लगाने की मंजूरी दी थी। बैठक में एसईआइएए ने कहा कि इस परियोजना से निर्माण स्थल पर 60 फीसद पेड़ों को हटाया जाएगा। सीपीडब्लूडी अधिकारियों ने कहा कि इस प्रस्ताव को गत वर्ष दिसंबर में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए भेजा गया था। परियोजनाओं को मंजूरी के लिए एसईआइएए के पास भेजे जाने से पहले उनका मूल्यांकन करने वाली एसईएसी ने इस महीने की शुरुआत में पेड़ों को उखाड़कर कहीं और लगाने के लिए दिल्ली सरकार की नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक उप-समिति का गठन किया था। सरकार ने दिसंबर, 2020 में अधिसूचित की गई नीति में कहा था कि संबंधित एजंसियों को उनके विकास कार्यों के कारण प्रभावित 80 फीसद पेड़ों को किसी और स्थान पर लगाना होगा।

एसईएसी ने पहली बार 31 जनवरी को एक बैठक में प्रस्ताव पर गौर किया था।

जिंदल सॉ लिमिटेड
सीआईएन - L27104UP1984PLC023979
पंजीकृत कार्यालयः ए-1, यूपीएसआईडीसी इंड. एरिया, नंदगांव रोड कोसी कलां, जिला मथुरा (उ. प्र.) 281403

नोटिस

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में सूचना दी जाती है कि कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को दोपहर 12.30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो वीजुवल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जायेगी एवं कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की वार्षिक आम बैठक बुलाने कि नोटिस 2 सितंबर, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी के उन सदस्यों को भेजा गया हैं, जो 19 अगस्त, 2022 को कंपनी के शेयर धारक हैं। एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.jindalsaw.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी क्रमश उपलब्ध है।

एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेज एजीएम की सूचना के प्रसार की तारीख से सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध है। ऐसे दस्तावेजों का निरक्षण करने के इच्छुक सदस्य investors@jindalsaw.com पर एक ई-मेल भेज सकते हैं।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग :
कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई-वोटिंग") द्वारा एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य अपना वोट यहां नीचे दी गई तारीखों ("रिमोट ई-वोटिंग") पर दूरस्थ रूप से भी डाल सकते हैं। कंपनी ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाओं को लिया गया है।

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण किताब 21 सितंबर, 2022 से 27 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक आम बैठक में लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

एजीएम की सुचना में जानकारी और निर्देश प्रदान किया गया है जिसमें डीमैटीरियलाइज्ड मोड,फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया सदस्य द्वारा मतदान सहित दूरस्थ रूप से मतदान के तरीके शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी की सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि (नीचे उल्लिखित) के अनुसार शेयर धारण करता है/सदस्य जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे इसे प्राप्त/उत्पन्न कर सकते हैं, एजीएम के नोटिस में भी दिया गया है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:
रिमोट ई-वोटिंग का प्रारंभ : शनिवार 24 सितंबर, 2022 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति : सोमवार 26 सितंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी)

उपरोक्त अवधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर रिमोट ई-वोटिंग मॉडयूल को एनएसडीएल द्वारा तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम मेइलेक्ट्रानिक रूप से वोट कर सकेंगे। एक व्यक्ति, जिसे कट-ऑफ तिथि यानी 20 सितंबर 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, केवल एजीएम में ई-वोटिंग या रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

सदस्य एजीएम नोटिस में दिए गए ई-वोटिंग निर्देश को पढ़ सकते है या https://evoting.nsdl.com पर जा सकते हैं और किसी भी प्रश्न के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं जो https://evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं।

जिंदल सॉ लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
सुनिल के जैन
कम्पनी सचिव
एफसीएस-3056

स्थानः नई दिल्ली
तिथि : 02.09.2022

पेंशन घोटाला : मप्र सरकार ने नहीं दी मुकदमा चलाने की मंजूरी

इंदौर, 2 सितंबर (भाषा)।

इंदौर की विशेष अदालत ने वर्ष 2005 के कथित पेंशन घोटाले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और तत्कालीन महापौर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ दायर शिकायत पर कार्यवाही खत्म कर दी है क्योंकि 17 साल बीतने के बावजूद राज्य सरकार ने उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी। प्रदेश कांग्रेस इकाई के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के.के. मिश्रा ने 33 करोड़ के इस कथित घोटाले को लेकर यह शिकायत दायर की थी।

विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने राज्य सरकार द्वारा विजयवर्गीय और अन्य तत्कालीन लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के अभाव का हवाला देते हुए शिकायत की कार्यवाही खत्म करने का आदेश 29 अगस्त (सोमवार) को जारी किया।

आदेश में कहा गया कि अभियोजन स्वीकृति की प्रत्याशा में शिकायत पर आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकती है और मामले को अनंतकाल तक लंबित भी नहीं रखा जा सकता।

विशेष अदालत ने हालांकि अपने आदेश में जोड़ा कि अगर शिकायतकर्ता को प्रदेश सरकार की अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होती है, तो वह इस मामले में अदालती कार्यवाही बहाल कराने के लिए स्वतंत्र है।

भारत जोड़ो यात्रा : राहुल गांधी को तिरंगा सौंपेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सात सितंबर को 'भारत जोड़ो यात्रा' शुरू करने से पहले श्रीपेरंबदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर प्रार्थना सभा में शामिल होंगे और कन्याकुमारी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन उन्हें राष्ट्र ध्वज सौंपेंगे।

महात्मा गांधी मंडपम में कार्यक्रम के दौरान स्टालिन भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ उस सार्वजनिक रैली स्थल पर जाएंगे जहां से यात्रा शुरू की जाएगी। पार्टी ने गांधी सहित 118 नेताओं को 'भारत यात्रियों' के रूप में वर्गीकृत किया है जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की दूरी तय करेंगे। वे प्रतिदिन औसतन 20-25 किमी की दूरी तय करेंगे। 'भारत जोड़ी यात्रा' वेबसाइट पर 37,000 से अधिक ऐसे आम लोगों ने भी पंजीकरण कराया है जो पार्टी से संबंधित नहीं हैं।

RAKAN STEELS LIMITED
CIN: L27320UP1985PLC007582
R/O: NH-2 (1 km from Bara Toll Plaza) Umran, Rania,Kanpur Dehat-209311
Corporate Office: Anand Palace, 10/499, Allen Ganj, Kanpur-208002
E-Mail: support@rakansteels.co.in
Ph: Regd. Office: +91-9598668666 WEB: www.rakansteels.co.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the the 35TH Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 30th September, 2022 at 03:00 P.M. at the Registered Office of the Company at NH-2 (1 km from Bara Toll Plaza), Umran, Rania, Kanpur Dehat-209311. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Financial Statements (Standalone) for the financial year 2021-2022, along with the Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent to all the members of the Company whose email address are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website and on the website of the Stock Exchange, i.e. MSE Limited at www.msei.in. Pursuant to provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of The Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Register of the Company shall remain closed from 23rd September, 2022 to 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to provisions of Section 108 of Companies Act 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Company is pleased to provide its members the electronic facility (remote e-voting) to transact all the business mentioned in the notice through National Services Depository Limited (NSDL). All the members are informed that:-

(a) The cut off date for determining the eligibility of the members to vote by remote e-voting or voting at the AGM is 22nd September, 2022.
(b) The remote E-voting shall commence on September 27, 2022 at 09:00 a.m. IST and end on September 29, 2022 at 05:00 p.m. IST. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
(c) A person, who has acquired shares and become member of the Company after the email sending date i.e. 02nd September, 2022 and holding shares on cut off date i.e. 22nd September, 2022, may obtain the procedure to login by sending request at www.evoting.nsdl.com. However, if the person is already registered with NSDL for e voting than he can use his existing login ID/user ID and password for casting the vote through e voting.
(d) Members holding shares in Physical Mode, who have not registered/updated their email addresses with the company, are requested to visit the website of the company's Registrar at www.skylinerta.com click on email registration and upload required documents therein.
(e) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email addresses, are requested to register/update their email addresses with depository participants with whom they maintain their demat accounts.
(f) The Notice of AGM is available on the Company's website www.rakansteels.co.in and on NSDL website www.evoting.nsdl.com;
(g) The procedure of electronic voting is available in the Notice of the 35th Annual General Meeting as well as in the email sent to the Members and on NSDL website www.evoting.nsdl.com. In case of any queries pertaining to e-voting, member can e-mail to evoting@nsdl.co.in and/or support@rakansteels.co.in;
(h) Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, manner of casting vote through remote e-voting or through ballot paper during the AGM.

Date- 03/09/2022
Place- Kanpur

By the order of the Board
For: Rakan Steels Limited
Sd/- Madhu Bansal
Company Secretary

कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की जांच की मांग पर सुनवाई से इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

जम्मू- कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की एसआइटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित अथारिटी के सामने जाने को कहा। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।

> इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रूट्स इन कश्मीर संस्था की याचिका को भी खारिज कर दिया था।

एक गैर सरकारी संगठन वी द सिटीजन ने यह याचिका दाखिल की थी। याचिका में कश्मीर में 1990 से 2003 तक कश्मीरी पंडितों और सिखों के संहार और अत्याचार की जांच के लिए एसआइटी के गठन की मांग की गई थी। साथ ही विस्थापितों के पुनर्वास की मांग भी की गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रूट्स इन कश्मीर संस्था की याचिका को भी खारिज कर दिया था। जिसमें 1989-90 में कश्मीरी पंडितों की हत्या की 215 घटनाओं की जांच की मांग की गई थी।

जे.के. कॉटन लिमिटेड
सीआईएन : U17111UP1924PLC000275
पंजीकृत कार्यालय : कमला टावर, कानपुर-208001, उ.प्र. (इण्डिया)
फोन : +91 512 2371478-81, फैक्स : +91 512 2332665
ई-मेल : abhishek.pandey@jkorg.co.in वेबसाइट : www.jkcotton.com

99वीं वार्षिक आम सभा व पुस्तक बंद होने की जानकारी

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, दिनांक 5 मई, 2020, दिनांक 13 जनवरी, 2021 और दिनांक 5 मई, 2022 के परिपत्र ('परिपत्रों') द्वारा एक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('VC')/अन्य ऑडीओ विजुअल मीन्स ('OAVM') के माध्यम से वार्षिक आम सभा ('AGM') आयोजित करने की अनुमति दी। इन परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में AGM के नोटिस में बताये जाने वाले कारोबार को संपादित करने के लिये जे के कॉटन लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 99 वीं AGM VC/OAVM के माध्यम से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को दोपहर 02:00 बजे आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट के साथ AGM के नोटिस केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जायेगी, जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('DP') या कंपनी के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jkcotton.com पर, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगें। सदस्य केवल VC/OAVM के माध्यम से AGM में उपस्थित होने और भाग लेने में सक्षम होंगे। AGM में शामिल होने के निर्देश AGM के नोटिस में प्रदान किये जायेगें और VC/OAVM के माध्यम से AGM में शामिल होने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जायेगी।

कंपनी अपने सदस्यों को AGM के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा के साथ-साथ AGM के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर अपने वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। कंपनी ने सदस्यों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए CDSL की सेवाएं ली हैं। इस संबंध में विस्तृत निर्देश AGM के नोटिस का हिस्सा बनेंगे।

जिन सदस्यों के ई-मेल पते DP या कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने ई-मेल पते पंजीकृत करायें:
1- फिजिकल शेयरधारकों के लिए: कृपा फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट (आगे और पीछे) की स्कैन कॉपी, पैन (पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी) जैसे आवश्यक विवरण कंपनी को abhishek.pandey@jkorg.co.in पर ईमेल में जमा कर दे।
2. डीमैट शेयरधारकों के लिए-कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपडेट करे। यह ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमो के तहत एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्य के रजिस्टर और शेयर अन्तरण रजिस्टर शुक्रवार 23 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 तक (दोनों दिन सम्मिलित) AGM के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

बोर्ड की आज्ञानुसार
हस्ता0/-
(अभिषेक सिंघानिया)
प्रबन्ध निदेशक

स्थानः कानपुर
दिनांकः 02.09.2022

भारतीय साधारण बीमा निगम
(भारत सरकार की कंपनी)
पंजीकृत कार्यालयः 'सुरक्षा', 170, जे. टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020
टेलीः + 91-22-2286 7000 **फैक्सः** + 91-22-2288 4010,
वेबसाइटः www.gicofindia.com, **ई-मेलः** investors.gic@gicofindia.com,
सीआईएनः L67200MH1972GOI016133, **आईआरडीएआई पंजी. सं.**112

आपत्काले रक्षिष्यामि
GIC Re

50 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

वार्षिक आम बैठक की सूचनाः
एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि लागू एमसीए परिपत्रों और कंपनी अधिनियम तथा सेबी विनियम (सामूहिक रूप से सांविधिक प्रावधान के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्यों का लेन-देन करने के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम की **50 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, दिनांक 26 सितंबर 2022 दोपहर 3:00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी. एजीएम की कार्यवाही निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी.

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट :
एजीएम बैठक की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट **शुक्रवार, 2 सितंबर 2022** के ईमेल से उन सदस्यों को भेजी गई है, जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) रजिस्ट्रार / ट्रांसफ़र एजेंट्स (आरटीए) के पास उपलब्ध हैं. उक्त दस्तावेज़ निगम की वेबसाइट www.gicofindia.com, स्टॉक एक्सचेंज (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) एवं ई-वोटिंग एजेंसी मेसर्स नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉसिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-वोटिंग
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, निगम ने मेसर्स नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की सेवाओं को दूरस्थ ई-मतदान सुविधा के प्रावधान के लिए निम्नवत् लागू किया है :

विवरण	एजीएम से पूर्व	एजीएम के दौरान
दूरस्थ ई-वोटिंग का आरंभ	**बुधवार, 21 सितंबर 2022 को सुबह 09:00 बजे से (भारतीय मानक समयानुसार)**	**सोमवार, 26 सितंबर 2022**
दूरस्थ ई-वोटिंग का समापन	**रविवार, 25 सितंबर 2022 को शाम 05:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)**	**सोमवार, 26 सितंबर 2022 (एजीएम समाप्त होने के 15 मिनट बाद)**
कट ऑफ डेट (वोट के लिए हकदार)	**सोमवार, 19 सितंबर 2022**	
एक्सेस के लिए वेबलिंक	https://www.evoting.nsdl.com	
ई-वोटिंग इवेंट नंबर	EVEN-121687	

टिप्पणियाँ:
1. केवल वही व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तारीख अर्थात **सोमवार, 19 सितंबर 2022** तक सदस्यों / लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज है, दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्राप्त करने के साथ-साथ वार्षिक आम बैठक में मतदान करने का हकदार होगा.
2. सदस्यों का मतदान अधिकार **19 सितंबर 2022** तक निगम की चुकता साम्य शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा.
3. ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है या कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की नोटिस भेजने के बाद लेकिन कट ऑफ़ तारीख से पहले यानि **19 सितंबर 2022** तक निगम का सदस्य बने हों, सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के लिए फोलियो नं./डीपी-आइडी क्लाइंट आइडी का उल्लेख करते हुए निगम को investors.gic@gicofindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं. ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करें.
4. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग से अपने वोट डाले हैं, वे भी वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन वे फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे.
5. जो सदस्य वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम के दौरान वोट करने के हकदार होंगे.
6. जो सदस्य वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में सांविधिक रजिस्टरों / दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक हैं, एजीएम की तारीख तक अपनी डीपी-आईडी और क्लाइंट आईडी या फोलियो का उल्लेख करते हुए इस संबंध में निगम को ईमेल आईडी cs.gic@gicofindia.com पर मेल डाल सकते हैं.
7. जो सदस्य एजीएम के दौरान सवाल पूछना चाहते हैं, उन्हें **सोमवार 19 सितंबर 2022 (09:00 बजे भारतीय मानक समय) और बुधवार, 21 सितंबर 2022 (05:00 बजे भारतीय मानक समय)** के बीच gicagm.speakers@gicofindia.com पर अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अनुरोध भेजकर खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत करना होगा. केवल उन्हीं सदस्यों को, जिन्होंने वक्ता के रूप में पूर्व-पंजीकृत किया है, ई-एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी. निगम के पास ई-एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर बोलने वालों की संख्या को सीमित करने का अधिकार है.
8. किसी भी प्रकार की पूछताछ के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com पर शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज़) और एनएसडीएल के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं. सदस्य निम्नलिखित पर भी संपर्क कर सकते हैं:
   टोल फ्री नं.: 1800-222-990 या 1800-22-44-30 या श्री अमित विशाल या सुश्री पल्लवी म्हात्रे से एनएसडीएल से ईमेल evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं.
   यह सार्वजनिक सूचना निगम की वेबसाइट (www.gicofindia.com) पर भी उपलब्ध है.

कृते भारतीय साधारण बीमा निगम

हस्ताक्षरित/-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव

स्थानः **मुंबई**
दिनांकः **02.09.2022**

COURT NOTICE
In The Court Of
Harpreet kaur Nafra
JMIC -4, Jalandhar
Sandeep Narang
Vs
Nazar
CNR NO: PBJL03-024311-2019
Next Date : 23-09-2022
Publication Issued To: Nazar - Prop Of Ms City Sports Near Cine House Moohnu Mukku Attingal Kerla 695101
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 23-09-2022 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Jalandhar
JMIC-4, Jalandhar

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओ. ए नं. 99/2020
भारतीय स्टेट बैंक
विरूद्ध आवेदक
मयंक रस्तोगी एवं अन्य
सेवा में प्रतिवादी

1. मयंक रस्तोगी व अन्य पुत्र श्री संजीव कुमार, जी-34/यूजी-2, दिलशाद कॉलोनी, नई दिल्ली-110095, ईस्ट दिल्ली 110095 और: विजमोर कम्युनिकेशन प्रा. लि., बी-53/2, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110021 **प्रतिवादी 1**
(2) मैसर्स एम.जी. हाउसिंग प्रा. लि., 12वीं मंजिल, हिमालय हाउस, 23, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 **प्रतिवादी 2**

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरूद्ध रुपये **39,21,104/- (रु. उनतालीस लाख इक्कीस हजार एक सौ चार मात्र)** की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 12-09-2022 को पूर्वा. 10.30 बजे माननीय** रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी की वेबसाइट **www.etribunal.gov.in** देखें) फोन : **011-23748473**

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा:-
(xxii) सभी अधिवक्ता/पात्रगण "सिस्को वेबेक्स" एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;
(xxiii) "रजिस्ट्रार/रिकवरी ऑफिसर-I/ और रिकवरी ऑफिसर-II द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" DRT की आधिकारिक तिथि से एक दिन पहले उपलब्ध होगी। पब्लिक नोटिस हेड के तहत पोर्टल अर्थात **"drt.gov.in"**
(xxiv) किसी भी जानकारी हेतु, एडवोकेट्स/ लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन 011-23748473 पर संपर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायधिकरण की मोहर के तहत **11 जुलाई, 2022** को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार,
रजिस्ट्रार

प्रतिवादी उत्तरदाता आगे की पूछताछ के लिए उल्लेखित फोन नंबर के तहत संपर्क कर सकते है। अमित के. दार, एलडी. रजिस्ट्रार, डीआरटी-I, नई दिल्ली, फोनः 011-23748473, ईमेलः drt1delhi-dfs@nic.in

DELHIVERY
डेल्हीवरी लिमिटेड
(पूर्व नाम डेल्हीवरी प्राइवेट लिमिटेड)
सीआईएनः L63090DL2011PLC221234

वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित होने वाली 11वीं वार्षिक आम बैठक से सम्बन्धित सूचना

सदस्य कृपया ध्यान दें कि एजीएम की सूचना ("**सूचना**") में निर्धारित व्यवसाय(यों) के लेन-देन के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 ("**अधिनियम**") के समस्त प्रयोज्य प्रावधानों, उसके तहत निर्मित नियमों एवं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा इस सम्बन्धि जारी अनुगामी परिपत्रों, नवीनतम 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 एवं इस सम्बन्ध जारी अन्य प्रयोज्य परिपत्रों (सामूहिक रूप से "**परिपत्र**" सम्बन्धित) के अनुपालन में डेल्हीवेरी लिमिटेड ("**कम्पनी**") की 11वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) पर आयोजित की जायेगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के लिए की जायेगी।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 ("**वार्षिक रिपोर्ट**") उचित समय पर केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टीसिपेन्ट्स ("**डीपी**") के साथ पंजीकृत हैं। यह कम्पनी की वेबसाइट **www.delhivery.com**, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** पर, कम्पनी के डिपॉजिटरी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड **https://www.evoting.nsdl.com/**तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("**लिंक इनटाइम**") की वेबसाइट **www.linkintime.co.in** पर भी उपलब्ध होगा। वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना की प्रतियां इसके लिए निवेदन करने वाले सदस्यों के पास भेज दी जायेंगी।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका :

सदस्य सूचना में निर्धारित व्यवसाय(यों) पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("**ई-वोटिंग**") के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। अभौतिक मोड, भौतिक मोड में शेयर धारित करने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए दूरस्थ वोटिंग ("**रिमोट ई-वोटिंग**") सहित वोटिंग का तरीका सूचना में दिया गया है। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट कर सकेंगे।

ई-मेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने की रीति :

क) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य : लिंक इनटाइम के साथ ई-मेल पता पंजीकृत करके। उनकी वेबसाइट **www.linkintime.co.in** पर लिंक **Investor Services** टैब को क्लिक करके **E-mail Registration** शीर्षक चुनें और उसमें निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। सदस्यों से नाम, डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी/पैन, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी जैसे विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया जायेगा। किसी भी जिज्ञासा के मामले में, सदस्य लिंक इनटाइम को **rmt.helpdesk@linkintime.co.in** पर ई-मेल भेज सकते हैं।

ख) इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी से सभी संचार प्राप्त करने के लिए डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके संबंधित डीपी के साथ डीमैट धारिता के संबंध में अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करके।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोटिस और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते डेल्हीवेरी लिमिटेड
ह./-
सुनील कुमार बंसल
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तिथि : 01 सितम्बर, 2022
स्थान : गुरुग्राम

पंजीकृत कार्यालयः एन24-एन34, एस24, एस34, एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स सेंटर-II, सामने गेट 6 कार्गो टर्मिनल, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 5, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122002, हरियाणा-122002
वेबसाइटः www.delhivery.com; **ई-मेलः** corporateaffairs@delhivery.com; **दूरभाषः** +91 124 6225602

www.readwhere.com